

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2025/२०२

रीवा दिनांक : २५-३-२०२५

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय

त्यौथर, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2025–2026 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 24-03-2025 के आइटम क्रमांक 2(01) की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2025–2026 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	एलएल.बी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-BCI द्वारा निर्धारित सीट।

नोट –

1. अध्यापन हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की पदस्थापना की जावे।
2. पुस्तकालय में पुस्तकें की संख्या में वृद्धि करते हुए लॉ जर्नल्स क्रय किये जावे।
3. मूटकोर्ट को और व्यवस्थित किया जावे।
4. बी.सी.आई. से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2026–2027 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. सहायक कुलसचिव-परीक्षा, गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विका)